नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

जिला आपूर्ति शाखा

:- आदेश :-

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5493/खाद्य, दिनांक 10.06.2011 द्वारा जिले के अन्नपूर्णा योजना के अधीन माह जून, 2011 हेतु जिले के 2654 अन्नपूर्णा लाभार्थियों के लिए प्रति लाभान्वित प्रति माह 6 (छः) किलो गेहूँ एवं 4 (चार) किलो चावल की मात्रा की दर से 159.24 क्विंटल गेहूँ व 106.16 क्विंटल चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है।

पूर्व में कार्यालय पत्रांक 608/आ0, दिनांक 31.08.09 द्वारा जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को अभियान चलाकर व विशेष दल का गठन कर सभी अन्नपूर्णा लाभार्थियों का शत् प्रतिशत् सत्यापन कराए जाने, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुदावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को एवं मृतकों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं दिए जाने हेतु निर्देशित करते हुए सत्यापनोपरान्त सही पाए गए अन्नपूर्णा लाभुकों की संख्या की माँग की गई।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, हिलसा व राजगीर से सत्यापनोपरान्त अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत सही पाए गए लाभन्वितों की कुल संख्या 2704 प्रतिवेदित किया गया है, जो कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित परिवारों की संख्या से 50 अधिक है।

उक्त के आलोक में विभाग से प्राप्त कुल 2654 अन्नपूर्णा लाभुकों हेतु सम्प्रति प्राप्त आवंटन को जिले के सभी 2704 अन्नपूर्णा लाभान्वितों में से 50 अन्नपूर्णा लाभार्थियों की संख्या को कम करते हुए (अर्थात् 1.84 प्रतिशत् कम करते हुए) जिले के सभी प्रखण्डों एवं नगर निकायों में कुल 2654 अन्नपूर्णा लाभार्थियों के बीच वितरण किए जाने हेतु निम्नरूपेण उपावंटित किया जाता है।

क्र0	प्रखंड/नगर निगम/नगर पंचायत का नाम	अन्नपूर्णा लाभान्वितों की संख्या (1.84 प्रतिशत कम करते हुए)	माह जून, 2011 हेतु कुल 2654 अन्नपूर्णा लाभुकों के लिए खाद्यान्न का मासिक आवंटन (क्विंटल में)	
			गेहूँ (दर प्रति परिवार 6 किलो)	चावल (दर प्रति परिवार 4 किलो)
1	अस्थावाँ	211	12.66	8.44
2	हरनौत	271	16.25	10.84
3	बिहारशरीफ	223	13.37	8.91
4	बिन्द	35	2.12	1.41
5	नूरसराय	65	3.89	2.59
6	सरमेरा	170	10.19	6.79
7	रहुई	77	4.59	3.07
8	हिलसा	41	2.47	1.65
9	एकंगरसराय	99	5.95	3.97
10	इसलामपुर	215	12.90	8.60
11	परबलपुर	57	3.42	2.28
12	धरथरी	122	7.30	4.87
13	चण्डी	166	9.95	6.64

14	करायपरशुराय	235	14.07	9.38
15	नगरनौसा	120	7.18	4.79
16	पैन	12	0.72	0.48
17	राजगीर	24	1.41	0.94
18	सिलाव	49	2.94	1.96
19	कतरीसराय	48	2.89	1.92
20	गिरियक	61	3.65	2.43
21	न.नि., बिहारशरीफ	184	11.01	7.34
22	न.प. राजगीर	22	1.30	0.86
23	न.पं. सिलाव	0	0.00	0.00
24	न.पं. हिलसा	88	5.30	3.53
25	न.पं. इसलामपुर	62	3.71	2.47
		2654	159.24	106.16

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि सभी अन्नपूर्णा लाभार्थियों का शत् प्रतिशत् सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को प्रत्येक माह की 6 वी तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपावंटित खाद्यान्न को कूपन के आधार पर वितरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पूर्व माह का शेष देखकर/काटकर ही उपावंटन करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि उठाव एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखें तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अन्नपूर्णा लाभार्थियों के अलावे कोई अन्य व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठाएँ, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारियों की होगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
नालन्दा ।

अपर समाहर्त्ता,
नालन्दा ।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ज्ञापांक : 02-03/11 ९१११/आ0, दिनांक : 18 /06/2011

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा को उल्लिखित विभागीय पत्रांक 5493/खाद्य, दिनांक 10.06.2011 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/हिलसा व राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
नालन्दा ।

अपर समाहर्त्ता,
नालन्दा ।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ज्ञापांक : 02-03/11 ९१११/आ0, दिनांक : 18 /06/2011

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 5493/खाद्य, दिनांक 10.06.2011 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित्।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
नालन्दा ।

अपर समाहर्त्ता,
नालन्दा ।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।